31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए
राजीव गाँधी विश्वविद्यालय, रोनो हिल्स, दोइमुख, अरुणाचल प्रदेश
के खातों की पृथक लेखा परीक्षा विवरणिका

1. हमने राजीव गाँधी विश्वविद्यालय, रोनो हिल्स, दोइमुख, अरुणाचल प्रदेश के तुलन पत्र की दिनांक 31 मार्च, 2023 को, और उसी दिनांक को समाप्त वर्ष के आय-व्यय खातों /प्राप्ति-भुगतान खातों की नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्ति और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के अनुच्छेद 19 (2) के तहत जिसे राजीव गाँधी विश्वविद्यालय, अधिनियम 2006 की धारा 34 (1) के साथ पढ़ा जाए, की लेखा परीक्षा कर ली है। ये वित्तीय विवरणिकायें राजीव गाँधी विश्वविद्यालय प्रबंधन की जिम्मेदारी हैं। हमारा दायित्व, अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर, इन वित्तीय विवरणिकाओं पर अपने विचार प्रकट करना है।

2. इस प्रारूप पृथक लेखा परीक्षाविवरणिका में भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (सी. तथा ए. जी.) के लेखांकन व्यवहार पर, वर्गीकरण, सर्वोतम लेखा व्यवहार के अनुरूप, लेखा स्तर, प्रकरण मानक आदि के सन्दर्भ में की गई टिपण्णियाँ हैं।कानून के अनुपालन के सन्दर्भ में वित्तीय लेन देनों, नियम और विनियम (औचित्य और नियमितता), दक्षता एवं निष्पादन आदि पहलुओं पर, यदि कोई अलग से, जाँच परीक्षा / सी. ए. जी.की लेखा परीक्षा विवरणिका में पाई गई है पर लेखा परीक्षा–अभ्युक्तियाँ हैं।

3. हमने भारत में लेखा परीक्षा के सामान्यतः स्वीकृत मानदंडों के अनुसार लेखा परीक्षा कार्य सम्पन्न किया है।इन मानदंडों कि मांग है की हम अपने ऑडिट का नियोजन व उसका निष्पादन इस प्रकार करें की हमारा वित्तीय विवरण तथ्य पूर्ण एवं मिथ्या कथनों से मुक्त हो। एक लेखा परीक्षा में वित्तीय विवरणों में उल्लिखित राशि की जाँच आधारित परीक्षा, साक्ष्य समर्थन एवं उनका मूल्यांकन शामिल होता है। एक लेखा परीक्षा में प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों और प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतोंके साथ-साथ प्रयुक्त वित्तीय विवरणों का समग्र प्रस्तुतीकरण होता है।हमें विश्वास है कि हमारा लेखा परीक्षण हमारे विचारों को तार्किक आधार प्रदान करता है।

4. अपने लेखा परीक्षण के आधार पर हम सूचित करते हैं कि :

i. हमने वे सूचनाएँ व स्पष्टीकरणजो हमारे लेखा परीक्षण के लिए हमारे संज्ञान व मत के अनुसार जरूरी थी प्राप्त कर ली हैं;

ii. तुलन पत्र (बैलेंस शीट) और आय-व्यय खाता/प्राप्ति और भुगतान खाता जो इस विवरणिका की विषय वस्तु है, का प्रारूप मानव संसाधन विकास मंत्रालयद्वारा स्वीकृत, भारत सरकार दिनांक 17 अप्रैल, 2015 के अनुरूप बनाया गया है।

iii. हमारे विचार में,जैसाकि हमने लेखा पुस्तकों की जाँच के आधार पर पाया है, राजीव गाँधी विश्वविद्यालय ने, राजीव गाँधी विश्वविद्यालय, अधिनियम 2006 की धारा 34 के अनुसार लेखा पुस्तकों तथा अन्य अभिलेखों को उचित ढंग से रखा हुआ है।

iv. हम आगे सूचित करते हैं किः

क. बैलेंस शीट

निधियों का अनुप्रयोग

1. अचल संपत्ति-मूर्त संपत्ति (अनुसूची-4) - ₹ 20472.30 लाख

i) उपरोक्त राशि में 2021-22 की अवधि के दौरान खरीदे गए वाहनों का मूल्य ₹ 30.96 लाख शामिल नहीं है। ऑडिट में पाया गया है कि ₹ 30.96 लाख की पूरी राशि अभी भी समायोजित की जानी थी और ऋण, अग्रिम और जमा (अनुसूची 8) के तहत परिलक्षित हो रही थी। इस प्रकार, ₹ 30.96 लाख मूल्य के वाहनों के गैर-पूंजीकरण के परिणामस्वरूप अचल संपत्तियों को कम बताया गया और ऋण, अग्रिम और जमा को ₹ 30.96 लाख से अधिक बताया गया। एमएचआरडी के प्रारूप के अनुसार बही खातामें मूल्यह्रास राशि को भी सही करने की जरुरत है। मूर्त संपत्ति (अनुसूची -4) - ₹ 20472.30 लाख ।

ii) उपरोक्त में , पूंजीकृतराजस्व व्यय ₹ 3.90, जिसको विभिन्न परिसंपत्तियों जैसे वैज्ञानिक और प्रयोगशाला उपकरण (₹ 2.03 लाख), फर्नीचर, फिक्स्चर और फिटिंग (₹ 0.20 लाख), कंप्यूटर और बाह्य उपकरणों (₹ 1.55 लाख) और भवन (₹ 0.12 लाख) के तहत खर्च किया गया है भी शामिल है। . इस प्रकार, उपर्युक्त राजस्व खर्चों के पूंजीकरण के परिणामस्वरूप अचल संपत्तियों को अधिक दिखाया गया है जबकि प्रशासनिक और सामान्य खर्चों में ₹ 3.90 लाख कम दिखाया गया है। एमएचआरडी के प्रारूप के अनुसार बही खातामें मूल्यह्रास राशि को भी सही करने की जरुरत है।

ख. आय और व्यय खाता

आय

1. अर्जित ब्याज (अनुसूची -12) – ₹ 809.55 लाख

उपरोक्त में 2021-22 से संबंधित अर्जित ब्याज (सावधि जमा पर) ₹ 6.03 लाख शामिल है । पिछले वर्ष से संबंधित अर्जित ब्याज की बुकिंग को अर्जित ब्याज (सावधि जमा पर) को 22-23 की अवधि में बढ़ाकर बताया गया है । और पूर्व अवधि की आय को ₹ 6.03 लाख कम दर्शाया गया है।

व्यय

2. स्टाफ भुगतान और लाभ (स्थापना व्यय) (अनुसूची-15) - ₹ 8048.86 लाख ₹7.81 करोड़

उपरोक्त में , 2021-22 से संबंधित, ₹ 18.68 लाख का व्यय शामिल है जिसमे (अतिथि संकाय के लिए मानदेय- ₹ 16.18 लाख, कर्मचारी कल्याण व्यय (डे केयर) - ₹ 1.50 लाख और वेतन और मजदूरी (एनएसएस), वेतन)- ₹ 1.00 लाख) । पिछले वर्ष 2022-23 से संबंधित व्यय की बुकिंग की अवधि के दौरान कर्मचारियों के भुगतान एवं लाभ- अतिथि संकाय के लिए मानदेय, कर्मचारी कल्याण व्यय (डे केयर) और वेतन (एनएसएस वेतन) को बढ़ा कर दिखाया गया है, और पूर्व अवधि के खर्चों को (₹ 18.68 लाख) कम करके दिखाया गया है ।

3. प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय (अनुसूची-17)- ₹ 380.30 लाख

उपरोक्त में ₹ 13.56 लाख (अन्य-मुद्रण और स्टेशनरी - ₹ 6.52 लाख का व्यय वर्ष 2020-21 से सम्बंधित, और सुरक्षा सेवाओं से संबंधित ₹ 5.34 लाख वर्ष 2021-22 के लिए , और वर्ष 2019-20 से 2021-22 की अवधि के लिए 1.70 लाख सदस्यता शुल्क भी शामिल है।

संबंधित व्यय की बुकिंग की अवधि 2022-23 के दौरान पिछले वर्षों के प्रशासनिक और सामान्य खर्चों - अन्य (मुद्रण और स्टेशनरी) को अधिक दर्शाया गया है जबकि सुरक्षा सेवाएँ और सदस्यता शुल्क) और पूर्व अवधि के खर्चों को ₹ 13.56 लाख कम करके दिखाया गया है

4. परिवहन व्यय (अनुसूची-18)- ₹ 113.77 लाख

उपरोक्त में 2023-24 की अवधि से संबंधित परिवहन व्यय-बीमा के लिए ₹ 3.73 लाख रुपये का व्यय शामिल है।

व्यय। यूनिवर्सिटी ने 2022-23 के दौरान वास्तविक व्यय ₹ 3.96 लाख के मुकाबले पूरी बुकिंग व्यय ₹ 7.69 लाख का दिखाया है।इसके परिणामस्वरूप परिवहन व्यय-बीमा व्यय को ₹ 3.73 लाख (₹7.69 लाख- ₹ 3.96 लाख) अधिक दिखाया गया है जबकि अधिशेष और न्यून कथन और अग्रिम तथा जमा-पूर्व को कम दर्शाया गया है।

ग. सामान्य

1. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने (अप्रैल 2023) विश्वविद्यालय को ईपीएफ और विविध अधिनियम, 1952 के तहत अनुबंध और आकस्मिक कर्मचारी के नामांकन के संबंध विश्वविद्यालय के कानूनी दायित्व के बारे में सूचित किया था । विश्वविद्यालय में कार्यरत अनुबंध और आकस्मिकता वाले कर्मचारियों की संख्या 429 के लिए ईपीएफ योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रति वर्ष ₹ 82 लाख (लगभग) का अतिरिक्त वित्तीय बोझ होगा।
   विश्वविद्यालय द्वारा उपर्युक्त प्रस्ताव की पुनः जांच की जा रही है, तथापि, आकस्मिक देयताएं और खातों पर नोट्स (अनुसूची-24) में इसका खुलासा नहीं किया गया है।
2. सेवानिवृत्ति लाभों के प्रति दायित्व का प्रावधान बीमांकिक आधार लेखांकन मानक-15 के अनुसार प्रदान नहीं किया गया था।
3. विश्वविद्यालय पर नवंबर 2022 से अप्रैल 2023 तक का बिजली शुल्क ₹ 10.61 लाख रुपये बकाया है। हालाँकि, नवंबर 2022 से मार्च 2023 तक के बकाया खर्च के लिए कोई प्रावधान भी नहीं रखा गया है।
4. ऋण, अग्रिम और जमा (अनुसूची-8) में कर्मचारियों को दि जाने वाली दीर्घकालिक अग्रिम (ब्याज सहित) राशि ₹ 109.59 लाख शामिल हैं। विश्वविद्यालय ने वर्ष 2022-23 के दौरान वाहन ऋण, गृह ऋण और कंप्यूटर अग्रिम ऋण, का सही ढंग से समायोजन नहीं किया। इसमें सुधार की जरूरत है।
5. शैक्षणिक प्राप्तियाँ (अनुसूची-9) में 2021-22 से संबंधित शैक्षणिक प्राप्तियाँ, अन्य शैक्षणिक शुल्क / अन्य विविध शुल्क शामिल हैं। पिछले वर्ष की आय से संबंधित बुकिंग को पूर्व अवधि की आय के रूप में दर्शाया जाना चाहिए।

6. उपरोक्त में 2021-22 और 2022-23 से संबंधित, अन्य आय राशि ₹ 2.08 लाख में - ऑडिटोरियम का किराया, खेल का मैदान/सम्मेलन केंद्र शुल्क (दुकान किराया) आदि, शामिल है। 2022-23 की अवधि के दौरान पिछले वर्ष से संबंधित आय की बुकिंग में अन्य आय के रूप में दिखाना ग़लत है. इन्हें पूर्व अवधि की आय के तहत बुक किया जाना चाहिए।
7. विश्वविद्यालय की 'महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों' के अनुसार, मूल्यह्रास को सीधी रेखा विधि (एसएलएम) के अनुसार गणना किया गया है और मूल्यह्रास को छमाही के दौरान खरीदी गई संपत्ति के लिए प्रदान किया गया है। हालाँकि एम एच आर डी प्रारूप के अनुसार मूल्यह्रास पूरे वर्ष के दौरान परिवर्धन पर प्रदान किया गया जाना चाहिए। आगे यह देखा गया कि विश्वविद्यालय मूल्यह्रास के एसएलएम नियम का पालन नहीं कर रहा है। इसलिए, विश्वविद्यालय को एमएचआरडी प्रारूप का पालन करना, मूल्यह्रास की पुनर्गणना और खातों पुस्तकों में उचित प्रविष्टियाँ करने की आवश्यकता है।

घ. सहायता अनुदान

विश्वविद्यालय के पास कुल उपलब्ध निधि रु. 361.95 करोड़ है जिसमें रु. 157.67 करोड़ का प्रारंभिक शेष, चालू वर्ष के दौरान प्राप्त रु. 143.83 करोड़ का सहायता अनुदान और रु. 60.45 करोड़ की अन्य प्राप्तियाँ शामिल हैं। कुल उपलब्ध निधि से विश्वविद्यालय ने रु. 201.57 करोड़ की राशि का उपयोग किया, 31 मार्च, 2023 तक रु. 160.38 करोड़ राशि शेष है। विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त आंकड़े अनुसूची 3(सी) और अनुसूची-10 से मेल नहीं खा रहे हैं। जिसे विश्वविद्यालय द्वारा पुन समाधान की आवश्यकता है।

v पिछले पैराग्राफों में हमारी टिप्पणियों के आधार पर , हम रिपोर्ट करते हैं कि बैलेंस शीट और आय एवं व्यय खाता/प्राप्ति एवं भुगतान खाता जिसका इसमें वर्णन किया गया है बही-खातों के नियमों के अनुरूप है।

vi हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार हम , उक्त वित्तीय विवरण का , ऊपर बताए गए महत्वपूर्ण मामलों और अन्य के अधीन इस ऑडिट रिपोर्ट के अनुलग्नक में उल्लिखित मामले सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं जो भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप है।

ए) जहाँ तक तुलन पत्र का संबंध है यह 31 मार्च, 2023 तक राजीव गाँधी विश्वविद्यालय के मामलों को प्रस्तुत करती है ; और

बी) जहाँ तक आय एवं व्यय खातों के अधिशेष का सबंध है यह उक्त दिनांक को समाप्त होने वाले वर्ष का है।

स्थान : ईटानगर

दिनांक : 8 दिसम्बर , 2023

भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक
(सी.तथा ए. जी.) के लिए एवं की ओर से
द्वारा /-
प्रधान महालेखाकार
अरुणाचल प्रदेश

संलग्नक

1. आन्तरिक लेखा परीक्षा

विश्वविद्यालय की आन्तरिक लेखा शाखा वित्त शाखा से जुड़ी हुई है तथा सभी व्यय प्रस्तावों की सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से पूर्व समीक्षा करती है। जबकि वित्तीय वर्ष 2022-23 में आन्तरिक लेखा परीक्षा नही की गई।

2. आन्तरिक नियंत्रक तंत्र

विश्वविद्यालय की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली निम्नलिखित कारणों से अपर्याप्त पाई जाती है:
i) विश्वविद्यालय के पास कोई आंतरिक लेखापरीक्षा नियमावली नहीं थी और न आंतरिक लेखापरीक्षा की गई है।
ii) विश्वविद्यालय में आंतरिक लेखा परीक्षा अधिकारी के लिए एक स्वीकृत पद है, हालांकि किसी की नियुक्ति नहीं की गई है।

3. अचल संपत्ति

विश्वविद्यालय ने 2022-23 के लिए अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया है, हालांकि, कोई रिपोर्ट तैयार नहीं की गई है।

4. सूची का भौतिक सत्यापन

विश्वविद्यालय ने इन्वेंटरी/भंडार का भौतिक सत्यापन किया था परन्तु कोई भौतिक सत्यापन रिपोर्ट तैयार नहीं की गई। जिससे 31 मार्च 2023 तक के स्थाई परिसंपत्ति की स्थिति का निधारण लेखापरीक्षा में नहीं किया जा सका है।

5. सांविधिक देय राशि का भुगतान

विश्वविद्यालय ने सांविधिक देय राशि का नियमित भुगतान किया है I

स्थान : ईटानगर
दिनांक : 8 दिसम्बर , 2023

भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक
(सी. तथा ए. जी.) के लिए एवं की ओर से

द्वारा /-
प्रधान महालेखाकार
अरुणाचल प्रदेश